संख्या-55/2023/1720/22-2-2022-17(553)/2017

प्रेषक,

सुरेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 23 फरवरी, 2023

विषय:- केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मंजीत सिंह उर्फ मंगे पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह, निवासी जनपद-लखनऊ की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-21667/प्रोबेशन-3-फार्म-ए/(एम-07.06.2022) दिनांक-04.07.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मंजीत सिंह उर्फ मंगे पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह, 228/152 आर्यनगर, थाना-नाक हिन्डोला, जनपद-लखनऊ का निवासी है। बंदी ने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 24-03-1993 को सायंकाल लगभग 07.15 बजे श्री एल0डी0 अरोडा, अपर कस्टम कलेक्टर, इलाहाबाद की कार्यालय से वापस आते समय घर के बाहर कार पार्क करते समय पिस्तौल से गोली मारकर हत्या की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को टाडा क्रिमिनल के संख्या- 3ए/1994 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 के अन्तर्गत मा0 डेजिगनेटेड कोर्ट अन्डर टाडा एक्ट/सत्र न्यायाधीश, कानपुर नगर के आदेश दिनांक 30.09.2008 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 25-01-2011 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 26.05.2022 तक 22 वर्ष, 11 दिन की अपरिहार सजा तथा 26 वर्ष, 07 माह की सपरिहार सजा भोगी गयी है। पुलिस अधीक्षक, जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बंदी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित किये बिना व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, बंदी की अन्य राज्यों में भी हीनियस क्राइम की अपराधिक पृष्ठभूमि होने, कारागार से रिहा होने पर नये अपराधियों से मिलकर अपराध को बढ़ावा देने की सम्भावना होने, जेल में रहने से अपराध को पुन: कारित करने से रोके जाने का अंकन करते हुए बंदी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बंदी ने दिनांक 24.03.1993 को अपने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर सहायक कस्टम कलेक्टर, इलाहाबाद श्री एल0डी0 अरोरा की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बंदी द्वारा कारित अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, जेल में आगे और निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की पुष्टि जिला प्रोवेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में की गयी है। बंदी अभ्यस्त अपराधी प्रवृत्ति का है। बन्दी की आपराधिक पृष्ठभूमि एवं बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी मंजीत सिंह उर्फ मंगे पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- अत: उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मंजीत सिंह उर्फ मंगे (बन्दी संख्या-45040) पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह, निवासी जनपद-लखनऊ के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

संख्या-55/2023/1720(1)/22-2-2022 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।
3- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।
5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-55/2023/1720/22-2-2022-17(553)/2017

दिनांक 23 फरवरी, 2023 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मंजीत सिंह उर्फ मंगे पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह, 228/152 आर्यनगर, थाना-नाक हिन्डोला, जनपद-लखनऊ का निवासी है। बंदी ने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 24-03-1993 को सायंकाल लगभग 07.15 बजे श्री एल0डी0 अरोडा, अपर कस्टम कलेक्टर, इलाहाबाद की कार्यालय से वापस आते समय घर के बाहर कार पार्क करते समय पिस्तौल से गोली मारकर हत्या की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को टाडा क्रिमिनल के संख्या- 3ए/1994 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 के अन्तर्गत मा0 डेजिगनेटेड कोर्ट अन्डर टाडा एक्ट/सत्र न्यायाधीश, कानपुर नगर के आदेश दिनांक 30.09.2008 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 25-01-2011 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 26.05.2022 तक 22 वर्ष, 11 दिन की अपरिहार सजा तथा 26 वर्ष, 07 माह की सपरिहार सजा भोगी गयी है। पुलिस अधीक्षक, जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बंदी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित किये बिना व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, बंदी की अन्य राज्यों में भी हीनियस क्राइम की अपराधिक पृष्ठभूमि होने, कारागार से रिहा होने पर नये अपराधियों से मिलकर अपराध को बढ़ावा देने की सम्भावना होने, जेल में रहने से अपराध को पुन: कारित करने से रोके जाने का अंकन करते हुए बंदी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बंदी ने दिनांक 24.03.1993 को अपने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर सहायक कस्टम कलेक्टर, इलाहाबाद श्री एल0डी0 अरोरा की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बंदी द्वारा कारित अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, जेल में आगे और निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की पुष्टि जिला प्रोवेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में की गयी है। बंदी अभ्यस्त अपराधी प्रवृत्ति का है। बन्दी की आपराधिक पृष्ठभूमि एवं बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी मंजीत सिंह उर्फ मंगे पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in